राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	371/2020 मोहन / ओमप्रकाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		225
16/9/20	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करें। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/9/2020 को पेश हो।	
18/9/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11/08/2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, एवं आदेशिका दिनांक 11/08/2020 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि " प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 27/08/2020 को पेश हो।" जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इस अपील का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11/08/2020 किसी आदेश की श्रेणी में नही होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी अग्रिम कार्यवाही के अंकन की आदेशिका मात्र हैं, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पोषणीय ही नही हैं। अतः अपील अपीलार्थी पोषणीय नही होने से ख़ारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 18/09/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील अधिकारी
जिला जयपुर